दैनिक भास्कर

सेबी के पूर्व चेयरमैन की राय: लापरवाही आर्थिक घाटा का कारण हो सकती है, धोखाधड़ी रोकने के लिए कंपनियां सही कदम उठाएं

मुंबई 4 घंटे पहले

धोखाधड़ी से न केवल किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है

आर्थिक विकास के साथ अब धोखाधड़ी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही किसी बड़े आर्थिक घाटे का कारण बन सकती है। ऐसे में कंपनियों को धोखाधड़ी रोकने के लिए सही कदम उठाना चाहिए। यह बात सेबी के पूर्व चेयरमैन एम. दामोदरन ने कही।

दामोदरन एक्सीलेंस एनेबलर्स के चेयरमैन हैं

दामोदरन एक्सीलेंस एनेबलर्स के चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों और अन्य लोगों को चाहिए कि वे उन लोगों के साथ जानकारी साझा न करें जिन्हें सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कंपनियों के लिए वार्निंग सिस्टम का होना भी उतना ही आवश्यक है जो उन्हें भविष्य में आ सकने वाली आपदाओं के प्रति सचेत करती हैं। जहां रोकथाम विफल हो गई है, वहाँ तुरंत ही कुछ उपाय फौरन अमल में ला देने चाहिए। फिर ऐसी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे डर पैदा हो और आगे कोई ऐसा करने से पहले कई बार सोचे।

सहायक कंपनियों के लिए ज्यादा खतरा

दामोदरन कहते हैं कि ज्यादा खतरा लिस्टेड कंपनियों की सहायक कंपनियों के लिए होता है। क्योंकि पैरेंट कंपनियां अक्सर लिस्टेड होती हैं। वे रेगुलेटर के जांच के अधीन होती हैं। जबकि सहायक (subsidiary) कंपनियां, जिन पर कम नियमों का पहरा होता है वे आसानी से शिकार हो जाती हैं। धोखाधड़ी की रोकथाम की जिम्मेदारी प्रत्येक संगठन में विभिन्न स्तरों और कार्यकर्ताओं (functionaries) की होती है।

मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए

उनका कहना है कि सबसे पहले मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना है कि वे उचित जांच और संतुलन के साथ ही नियंत्रण तंत्र (control mechanisms) स्थापित करके धोखाधड़ी को रोकने का प्रयास करें। धोखाधड़ी में इन्टर्नल ऑडिटर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सांविधिक लेखा परीक्षकों (Statutory auditors) को मौजूदा या संभावित धोखाधड़ी को उनके संज्ञान में लाने के लिए मैनेजमेंट या बोर्ड की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

ऑडिट कमेटी भी होती है जिम्मेदार

दामोदरन ने कहा कि कंपनियों की ऑडिट कमेटी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धोखाधड़ी की संभावना के लिए पर्याप्त इन्टर्नल कंट्रोल और चेक्स एण्ड बैलन्स है। उसी तरह रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को उन कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए जो जोखिम में बदल सकती हैं, और समय रहते उनकी भी पहचान करे जो फ्रॉड का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।

बोर्ड यह तय करने की मनमानी न हो

कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि उसके लोग मनमानी तरीके से काम करें तो कंपनी खुद इसे रोक ले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिन्हें क़ानून द्वारा कंपनी के हित में कार्य करने का काम सौंपा गया है, धोखाधड़ी की रोकथाम के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब कंपनियों को धोखाधड़ी का संदेह होता है, तो वे तथ्यों को तय करने और अपराधी व्यक्ति की पहचान करने के साथ-साथ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूछताछ करती हैं।

फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में जानकारी दी जाए

सेबी ने अनिवार्य किया है कि जब भी किसी लिस्टेड कंपनी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया हो, तो स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में बताया जाएगा। कई कंपनियों ने पूछताछ को ऑडिट के रूप में डिस्क्लोजर करने से परहेज किया है। दामोदरन ने कहा कि धोखाधड़ी से न केवल किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए यह प्रत्येक शेयरहोल्डर की जिम्मेदारी है कि धोखाधड़ी के अपराध को रोकने के लिए जो भी आवश्यक है वह करे और धोखाधड़ी की सूचना जो उनके ध्यान में आती है उसका संज्ञान ले।

Source: https://www.bhaskar.com/business/news/negligence-can-be-the-cause-of-financial-loss-companies-should-take-right-steps-to-prevent-fraud-129211525.html